भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *221
(08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी से निपटने के उपाय

***221. श्री कपिल सिब्बलः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी से निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं , और वर्ष 2025-2026 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं के तहत रोज़गार सृजन को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा;

(ख) वर्ष 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी के रुझानों पर मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आँकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी नई मनरेगा परियोजनाएँ शुरू की गई हैं; और

(घ) मंत्रालय वर्ष 2026 तक मनरेगा के तहत रोज़गार सृजन के परिणामों का किस प्रकार आकलन करेगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>राज्य सभा में दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 221 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है , जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को , जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों , कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करती है। यह एक माँग-आधारित मजदूरी रोज़गार योजना है और जब कोई बेहतर

रोज़गार अवसर उपलब्ध नहीं होता है तब यह एक विकल्प के रूप में काम करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (05.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार) स्वीकृत श्रम बजट 198.86 करोड़ श्रम-दिवसों की तुलना में 115.27 करोड़ श्रम-दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मांग अधूरी न रह जाए , ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की माँग पर कड़ी निगरानी रखता है।

केंद्र सरकार ने इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं , (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दीवार चित्रों सहित उपयुक्त सूचना , शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना , (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली का दायरा और कवरेज बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की माँग बिना पंजीकरण के न रह जाए , (iii) सहभागितापूर्ण तरीके से योजनाएँ तैयार करना और ग्राम सभा में उनको मंजूर करना, (iv) 'रोज़गार दिवस' का आयोजन करना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में दो कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है , जैसाकि नीचे उल्लिखित है:-

I. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जो मजदूरी रोज़गार के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।

II. ग्रामीण स्वरोज़गार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास, जिससे प्रशिक्षु बैंक ऋण प्राप्त कर सकें और अपना स्वयं का सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकें। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन वाली नौकरियाँ भी ढूँढ सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है , चाहे वह मजदूरी के भुगतान के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रम बजट (एलबी) तैयार करना एक आवश्यक वार्षिक कार्य है। पिछले रुझानों, रोजगार की संभावित मांग और कार्यों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए , ग्राम पंचायतें ग्रामीण सहभागी नियोजन और निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण के साथ योजनाएँ तैयार करती हैं। इस कार्य के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजनाएँ केंद्र सरकार की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति , जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं , आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना पर विचार करती है और एक "सहमत" श्रम बजट तैयार करती है। यह "सहमत" श्रम बजट बेहतर नियोजन के लिए केवल एक सांकेतिक संख्या है ताकि माँग के अनुसार समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से, जमीनी स्तर पर रोजगार की माँग के अनुसार "सहमत" श्रम बजट में समय-समय पर संशोधन भी करता है, ताकि माँग पर प्रत्येक मजदूरी की मांग करने वालो को समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में "उन्नति परियोजना" शुरू की। महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करके, इस परियोजना का उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार करना है , ताकि वे स्व-रोज़गार या मजदूरी रोज़गार के माध्यम से वर्तमान आंशिक रोज़गार से पूर्णकालिक रोज़गार की ओर बढ़ सकें। इस परियोजना का उद्देश्य 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अब तक परियोजना उन्नति के तहत 90,894 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2014-15 से, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 8.10 करोड़ स्थायी संपत्तियाँ बनाई गई हैं , जिससे 3,052 करोड़ श्रम दिवसों का व्यापक रोजगार सृजित हुआ है। वर्तमान वित्त वर्ष में, अब तक 26.51 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं और 1.36 करोड़ कार्य प्रगति पर हैं (05.08.2025 तक की स्थिति अनुसार), जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी वाला रोज़गार मिल रहा है।

(घ): भारत सरकार संवहनीय रोजगार अवसरों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना को मजबूत करने और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।